


STILT FLOOR PLAN

GROUND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

ALL THE WALLS OF THE BUILDING ARE TO BE CONSTRUCTED WITH 230 MM THICK BRICKS AND PLASTERED WITH 12.5 MM THICK MORTAR ON BOTH SIDES. THE ROOF IS TO BE CONSTRUCTED WITH 125 MM THICK RCC SLAB WITH 10% OVERLAP AT THE JOINTS.




FRONT ELEVATION



SECTION AT A-A'



RAIN WATER HARVESTING SYSTEM



SITE PLAN
SCALE: 1"=75'-0"

REFERENCE

PLOT NO. - 88 B, 89 A, 89 B, 89 C IN P.L.N.O. - 2348, 2349 & 2352 M. AT REV. VILLAGE DEVALI, UDAIPUR.

PLOT AREA - 14720 SQ. FT.
 GROUND FLOOR COVERAGE AREA - 4800 SQ. FT. (32.63 %)
 FIRST FLOOR COVERAGE AREA - 3800 SQ. FT. (25.81 %)
 TOTAL AREA - 8600 SQ. FT. (58.44 %)

F.A.R. - 0.3333

REQUIRED CAR UNIT - 14.44

STILT CAR UNIT - 400.00

OPEN CAR UNIT - 14.44

TOTAL AVAILABLE CAR UNIT - 14.44

NO. OF CAR (VEHICLE) UNIT - 12

PROPOSED RESIDENCE BUILDING PLAN FOR SH. RAMESH PATEL, SH. TARA CHANDJI ON PLOT NO. 88 B, 89 A, 89 B & 89 C IN P.L.N.O. - 2348, 2349 & 2352 M. AT REV. VILLAGE DEVALI, UDAIPUR.

SCALE: 1"=15'-0"

KAILASH MALI
 ARCHITECT & ENGINEER
 10, 2ND FLOOR, GANESH NAGAR,
 DEVALI, UDAIPUR.

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : नविप्र/भवन मानचित्र शाखा/3645

दिनांक : 29-10-13

श्री/श्रीमती रमेशचन्द्र पटेल
पिता/पत्नी श्री/श्रीमती रमेशचन्द्र पटेल

जलकवाटिका, 14 फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

विषय : न्यास के तथा न्यास द्वारा अनुमोदित योजनाओं के आवासीय भूखण्डों पर भवन निर्माण का अनुमति पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रांक 0171 दिनांक 24/10/2013 के अनुसरण में नगर विकास प्रन्यास की नगर आवासित पट्टा नामी योजना में क्वार्टर / भूखण्ड संख्या 88A 88B 88C 88D 88E ब्लॉक संख्या X के योजना के प्लान के क्वार्टर / भूखण्ड संख्या 88A 88B 88C 88D 88E क्षेत्रफल 14215.22 Sq.ft वर्गफुट / वर्गमीटर / वर्गमज पर निम्नलिखित शर्तों के साथ भवन निर्माण की इजाजत दी जाती है। राजस्व भाग - 2 वाला

- भूखण्ड पर निर्माण निम्नलिखित सेटबैक छोड़कर किया जायेगा। सामने को सेटबैक (पूर्व दिशा) 30'0" फीट पीछे का सेटबैक 15'0" फीट पार्श्व का सेटबैक पार्श्व - 1 15'0" फीट, पार्श्व - 2 15'0" फीट उपरोक्त निर्धारित सेटबैक में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाय।
- भूखण्ड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखण्ड के क्षेत्रफल के As per plan प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- आपके भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 30'0" से 30'0" फीट / मीटर पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे।
- आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
- आप भूखण्ड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके घड़ीस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- आप भूखण्ड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
- आपके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं न्यास में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर न्यास द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जायेगा।
- इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में न्यास एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
- यह स्वीकृति मात्र आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत उपयोग तथा भूतल स्तर (गार्डिन) तक मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ-पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर न्यास द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- भूखण्ड के सामने जहां सीवर लाईन उपलब्ध है, वहां आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
- भूखण्ड कॉर्नर होने पर आपको भूखण्ड के मोड़ (नुकड़) पर बाउण्ड्री की दीवार का निर्माण गोलाकार में करना अनिवार्य होगा।
- भूखण्ड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाये। इस पानी को घरेलु उपयोग में लिया जाय। भूखण्ड में Water Harvesting System लगाना अनिवार्य होगा।
- भूखण्ड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगायें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
- प्रार्थी इस भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु किसी भी राष्ट्रीय बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को रहन रखे तो इसमें न्यास को कोई आपत्ति नहीं है।
- भूखण्ड पर निर्मित होने वाला भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हो, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं ही होगी।
- आवेदित भूखण्ड के क्षेत्र में भविष्य में बनायी जाने वाली नालियों के निर्माण के स्तर को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड की प्लान रखी जाय।
- आपको भवन की दीवारें एवं फर्श जलरोधी बनाने होंगे एवं सतह का पानी बहकर अन्दर न घुसे, इस कार की पर्याप्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।
- भवन निर्माता/भवन स्वामी द्वारा सैफटी टैंक की सफाई के लिये मानव शक्ति का उपयोग नहीं किया जावेगा एवं Dry Latrine का निर्माण भी नहीं करावें।
- आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार भूतल पर निर्माण स्वीकृति क्षेत्रफल 4668'0" वर्गफुट एवं प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर निर्माण स्वीकृति क्षेत्रफल 3968'0" वर्गफुट पर ही निर्माण करावें। इससे अधिक क्षेत्रफल पर बिना स्वीकृति के निर्माण नहीं करावें।

20. आप द्वारा वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानत राशि 1,00,000.00 अक्षरे एक लाख रुपये मात्र जमा करायी गयी है। (यदि देय हो तो)

21. आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार चाही गयी निर्माण स्वीकृति के अनुसार निर्मित किये जाने वाले भवन की श्रम विभाग को नियमानुसार कुल निर्माण लागत की एक प्रतिशत सेस देय बनती है, जो आप द्वारा रुपये 86,593.00 अक्षरे Eighty six thousands five hundred ninety three only मालान द्वारा दिनांक 18/10/13 को बैंक SBBJ में संयुक्त श्रम आयुक्त वारंटे सचिव, राजस्थान भवन एवं अन्य सनिमाण कर्मकार कल्याण मण्डल, उदयपुर के नाम जमा करायी गयी, जिसकी दो प्रतियां आप द्वारा न्यास में प्रस्तुत कर दी गयी है। (यदि देय हो तो)

22. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक से 2/12/2014 वर्ष के लिये ही मान्य है। इस समयवाधि के पश्चात् इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

23. (i) स्टगल्ट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जाएगा।
(ii) यह निर्माण स्वीकृति भवन मानचित्र स्वीकृति (स्प्लान) की कंडिशन नं. 23 के अनुसार है।
(iii) स्टगल्ट का आरक्षण अंश 23 प्रतिशत तथा FAR 0.58 एवं भवन की अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर रहित 21 मीटर 2 ही जाएगी।

सक्षम अधिकारी

उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्रतिलिपी -

1. तहसीलदार, न्यास।
2. भूमि रूपान्तरण शाखा/बिक्री शाखा/नियमन शाखा, न्यास को प्रेषित कर लेख है कि प्लान मूत्र पत्रावली में लगावे।
3. श्रम विभाग, उदयपुर।
4. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।

सक्षम अधिकारी

उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

CONDITIONS :

1. No Projection shall be allowed over the minimum open space except in the front and that to will be permitted only in way of balcony.
2. Plinth height shall be not less than 2'-0 ft. from a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Kitchen shall be provided with proper ventilation system.
4. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
5. All the latrines and bathrooms shall have at least one external wall with proper ventilations.
6. No living rooms shall cover carpet area less than 100 ft.
7. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-00" ft. in ground floor and 10'-00" ft. in upper floors.
8. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic tank shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
9. Where the government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
10. In case of corner plot, corner of compound wall at road crossing shall be strictly rounded to the radius mentioned in the patta / site plan.
11. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this department.
12. Plot number shall be put on gate pillar.
13. Owner of the house should inform the date of commencement of construction to this office before it actually starts.
14. The house construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approved plan.
15. Rest rules as prevalent in municipal corporation for this clearance and sanction etc. shall be strictly followed.